

## अहमदाबाद में होगा आईपीएल-2026 का फाइनल, बीसीसीआई ने जारी किया प्लेऑफ शेड्यूल



दिए जाएं, क्योंकि जनप्रतिनिधि 'VIP' हैं। इसके बाद उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी और सांसदों को RCB मैचों के लिए 3-3 टिकट देने की घोषणा की थी। सूत्रों के अनुसार BCCI और IPL

नई दिल्ली एजेन्सी। आईपीएल-2026 का फाइनल मुकाबला अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को प्लेऑफ और फाइनल का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया। पहले फाइनल मुकाबला बेंगलुरु में कराने की योजना थी, लेकिन बाद में वेन्यू बदल दिया गया।

**प्लेऑफ का पूरा शेड्यूल**  
क्वालिफायर-1 - 26 मई 2026, शाम 7:30 बजे, धर्मशाला एलिमिनेटर - 27 मई 2026, शाम 7:30 बजे, न्यू चंडीगढ़ क्वालिफायर-2 - 29 मई 2026, शाम 7:30 बजे, न्यू चंडीगढ़ फाइनल - 31 मई 2026, शाम 7:30 बजे, अहमदाबाद बीसीसीआई के मुताबिक, कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन की कुछ मांगों बोर्ड की गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के दायरे से बाहर थीं। इसी वजह से फाइनल को बेंगलुरु से हटाकर अहमदाबाद शिफ्ट किया गया। दरअसल, कर्नाटक के कांग्रेस विधायक विजयानंद काशपनवर ने सुझाव दिया था कि हर विधायक और सांसद को 5-5 IPL टिकट

फ्रेंचाइजी इस व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे। इसके बाद बोर्ड ने फाइनल का वेन्यू बदलने का फैसला लिया। सीजन का ग्रैंड फिनाले लगातार दूसरे साल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। IPL-2025 का फाइनल भी इसी मैदान पर हुआ था, जिसमें Royal Challengers Bengaluru ने Punjab Kings को हराकर पहली बार ट्रॉफी जीती थी।

पॉइंट्स टेबल में पंजाब टॉप पर Punjab Kings इस समय 13 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। वहीं Lucknow Super Giants सबसे निचले पायदान पर मौजूद है।

पॉइंट्स टेबल में पंजाब टॉप पर Punjab Kings इस समय 13 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। वहीं Lucknow Super Giants सबसे निचले पायदान पर मौजूद है।

आईपीएल-2026 में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें 70 लीग मैच शामिल हैं। 28 मार्च से शुरू हुए टूर्नामेंट में अब तक 48 मैच खेले जा चुके हैं और प्लेऑफ की रेस बेहद रोमांचक हो गई है।

## वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान जैसा दर्जा, कैबिनेट की मंजूरी

अपमान करने या गायन में बाधा डालने पर सजा-जुर्माना, जन-गण-मन से पहले गाया जाएगा

नई दिल्ली एजेन्सी। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समान दर्जा देने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम पर अब वही नियम और पाबंदियां लागू होंगी, जो वर्तमान में राष्ट्रगान पर लागू हैं। यानी इसके अपमान या गायन में बाधा डालने की स्थिति में सजा होगी। अभी राष्ट्रीय ध्वज, सविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है, और अब वंदे मातरम भी इसमें शामिल किया जाएगा।

कानून में बदलाव और सजा का प्रावधान सरकार वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर यह बदलाव कर रही है। इसके लिए कानून की धारा 3 में संशोधन किया जाएगा। इस धारा के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान गाने में बाधा डालता है या उसे रोकता है, तो उसे तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।



जिसमें छह श्लोक हैं और जिसकी अवधि लगभग 3 मिनट और 10 सेकंड है, प्रमुख राजकीय समारोहों के दौरान प्रस्तुत या बजाया जाना चाहिए।

इनमें राष्ट्रीय ध्वज फहराना, राष्ट्रपति और राज्यपालों के आधिकारिक कार्यक्रमों में औपचारिक आगमन और प्रस्थान समारोह और ऐसे समारोहों में उनके निर्धारित भाषणों से पहले और बाद के कार्यक्रम शामिल हैं।

पहले 'राष्ट्रगीत' गाया जाएगा और उसके बाद 'राष्ट्रगान'।

अगर किसी कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' और 'राष्ट्रगान' दोनों होने हैं, तो पहले 'वंदे मातरम' (राष्ट्रगीत) गाया जाएगा और उसके बाद 'राष्ट्रगान'। दिशा-निर्देशों में आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि दर्शकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सम्मान के प्रतीक के रूप में दोनों प्रदर्शनों के दौरान सावधान मुद्रा में खड़े रहें।

वंदे मातरम गाने को बढ़ावा देने का भी आग्रह

गृह मंत्रालय ने स्कूल-कॉलेज और महत्वपूर्ण संस्थागत कार्यक्रमों के दौरान वंदे मातरम गाने को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया है। इस कदम का उद्देश्य स्टूडेंट्स और आम जनता के बीच राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति जागरूकता और सम्मान को प्रोत्साहित करना है। यह भी बताया गया है कि जब वंदे मातरम का प्रदर्शन किसी बैंड द्वारा किया जाता है, तो उससे पहले ढोल की थाप या बिगुल की ध्वनि से औपचारिक रूप से गायन की शुरुआत का संकेत दिया जाना चाहिए।

सिनेमा हॉल और फिल्म स्क्रीनिंग के लिए छूट

साथ ही, मंत्रालय ने सिनेमा हॉल और फिल्म स्क्रीनिंग के लिए विशिष्ट छूट प्रदान की है। निर्देश के अनुसार, फिल्म के साउंडट्रैक के हिस्से के रूप में वंदे मातरम बजाए जाने पर दर्शकों को खड़े होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मनोरंजन स्थलों में दर्शकों को खड़े होने के लिए मजबूर करने से देखने का अनुभव बाधित हो सकता है और संभावित रूप से दर्शकों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है।

चुनाव में 'वंदे मातरम' बना बड़ा राजनीतिक मुद्दा

बजट सत्र के समापन पर संसद के दोनों सदनों में वंदे मातरम के सभी छह अंतरों का पाठ किया गया। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान भाजपा ने वंदे मातरम को बंगाली अस्मिता और राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में पेश किया था। पार्टी ने इसके 150 वर्ष पूरे होने पर राज्यभर में सामूहिक गायन और पदयात्राओं का आयोजन किया। साथ ही, बंकिम चंद्र चटर्जी की विरासत को भी चुनावी अभियान में प्रमुखता से उठाया गया।

## सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 37 होगी

कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी, संसद के अगले सत्र में बिल पेश होगा

नई दिल्ली एजेन्सी। केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार संसद के अगले सत्र में इससे जुड़ा विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल चीफ जस्टिस समेत 33 जजों की संख्या है। सरकार इसमें चार नए जज जोड़ना चाहती है। इसके लिए संसद के अगले सत्र में बिल लाया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 1956 के कानून में संशोधन किया जाएगा। सविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। कानून लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम नए जजों के नाम सरकार को भेजेगा। इससे पहले 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 33 की गई थी। वहीं, 2008 में जजों की संख्या 26 से बढ़कर 31 हुई थी। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा सिर्फ 10 जजों की व्यवस्था थी।

सुप्रीम कोर्ट में अभी 2 पद खाली

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दो पद खाली हैं। जस्टिस बी.आर. गवई नवंबर 2025 में और जस्टिस राजेश बिंदल अप्रैल 2026 में रिटायर हुए थे। आने वाले महीनों में सुप्रीम कोर्ट में तीन और पद खाली होने वाले हैं। जस्टिस जे.के. माधेश्वरी और जस्टिस पंकज मिश्र 2026 में रिटायर होंगे, जबकि जस्टिस संजय करोल अगस्त 2026 में सेवानिवृत्त होंगे। सविधान के अनुच्छेद 124(3) के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट का जज वही बन सकता है जो भारतीय नागरिक हो। इसके लिए व्यक्ति का कम से कम पांच साल तक हाईकोर्ट में जज रहना या 10 साल तक वकील के तौर पर काम करना जरूरी है। किसी प्रतिष्ठित कानून विशेषज्ञ को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है।

## राजस्थान में फिर बढ़ेगी गर्मी, 9 मई से हीटवेव के आसार

जयपुर (समाचार केन्द्र)। पश्चिमी विक्षोभ का असर अब राजस्थान से खत्म हो गया है। इसके साथ ही प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर केंद्र के अनुसार 9 मई से राजस्थान के कई इलाकों में हीटवेव जैसी परिस्थितियां बनने के संकेत हैं। हालांकि इससे पहले अगले 2 से 3 दिनों तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, मेघगर्जन और धूल भरी हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार 9 मई को जैसलमेर, फलोदी और आसपास के क्षेत्रों में तापमान फिर से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में पश्चिमी राजस्थान और सीमावर्ती इलाकों में 9 से 11 मई के बीच लू का नया दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है।

वहीं पूर्वी राजस्थान में फिलहाल भीषण लू की आशंका कम बताई



जा रही है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में गर्मी का असर ज्यादा रहने की संभावना है।

सवाई माधोपुर जिले में आगामी तीन-चार दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है।

कृषि संयुक्त निदेशक लखपत लाल मीना ने बताया कि जायद सीजन की फसलों, सब्जियों और फलदार पौधों को गर्मी के असर से बचाने के लिए वैज्ञानिक उपाय अपनाना जरूरी है। किसानों को

पशुपालकों और आमजन के लिए भी एडवाइजरी पशुपालकों को पशुओं को छायादार स्थान पर रखने, पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और सुहृद के समय चारा देने की सलाह दी गई है। वहीं लोगों से अधिक पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और समय-समय पर आराम करने की अपील की गई है।

राजस्थान में बढ़ती गर्मी और हीटवेव की चुनौती को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने विशेष पहल शुरू की है। विभाग की ओर से सभी जिलों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें जिलों में भेजा गया है। इन अधिकारियों ने चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण कर हीटवेव प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लिया है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

## अखनूर में आतंकियों से मुठभेड़ : ब्यावर का अग्निवीर शहीद, 4 महीने बाद पूरी होनी थी सेवा

ब्यावर (समाचार केन्द्र)। राजस्थान के ब्यावर जिले के लगेतखेड़ा गांव निवासी अग्निवीर युवराज सिंह चौहान (26) बुधवार को जम्मू-कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। शहादत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। शुक्रवार को उनकी पार्थिव देह गांव पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।

परिजनों के अनुसार बुधवार सुबह आर्मी हेडक्वार्टर से पिता प्रताप सिंह को फोन कर युवराज के शहीद होने की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और ग्रामीण बड़ी संख्या में शहीद के घर पहुंचने लगे।

युवराज सिंह 17 फरवरी 2022 को भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए थे। उन्होंने जबलपुर, गोवा और पठानकोट सहित कई सैन्य



क्षेत्रों में सेवाएं दीं। वर्तमान में उनकी तैनाती जम्मू-कश्मीर के अखनूर सेक्टर में थी, जहां आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया।

पिता प्रताप सिंह ने बताया कि युवराज 15 फरवरी 2026 को एक महीने की छुट्टी पर गांव

आए थे और 19 मार्च को वापस ड्यूटी पर लौटे थे। उस दौरान उन्होंने परिवार से कहा था कि उनकी सेवा के केवल चार महीने बाकी हैं। परिजनों ने बताया कि 5 मई की रात ड्यूटी पर जाने से पहले युवराज ने परिवार से फोन पर बात की थी। उन्होंने सभी का हालचाल पूछा था। बुधवार सुबह करीब 11 बजे परिवार ने उन्हें कॉल किया, लेकिन फोन बंद मिला। कुछ समय बाद शहादत की सूचना आ गई।

युवराज के परिवार में छोटा भाई और बहन हैं। उनके पिता प्रताप सिंह भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शहादत की खबर के बाद पूरे गांव में मातम पसर हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि युवराज बचपन से ही देश सेवा का जज्बा रखते थे और सेना में भर्ती होकर उन्होंने अपना सपना पूरा

# MARWADI RASOI

Authentic Marwadi Taste

## Distributor की आवश्यकता है!

Papad, Badi, Masale एवं Rajasthani Food Products के लिए

प्रसिद्ध ब्रांड MARWADI RASOI के प्रीमियम प्रोडक्ट्स हेतु निम्न क्षेत्रों में Distributor / Dealer की आवश्यकता है:

📍 Bikaner	📍 Sri Dungargarh	📍 Nokha	📍 Kolayat
📍 Rajaldesar	📍 Lunkaransar	📍 Churu	📍 Rajgarh
📍 Taranagar	📍 Hanumangarh	📍 Sri Ganganagar	

कम निवेश में ज्यादा मुनाफा कमाएं

सांगरी

केर

फोफलिया

पापड़

बड़ी

मसाले

संपर्क करें:

**8938970001**

WhatsApp करें:

**9983121943**

Marwadi Rasoi – Authentic Rajasthani Taste

